संख्या-25/2020/540 ई-2/तेरह-2020-61/2017

प्रेषक

कृपा शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रामपुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 27 फरवरी, 2020

विषयः- होटल ''द रिवर साइड इन'' ग्राम मंसूरपुर, तहसील सदर, जनपद रामपुर को एफ.एल.-6 (समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सम्बोधित अपने पत्र सं.-1033/एफ.एल.-6 (समिश्र)/बार अनुज्ञापन/रामपुर, दिनांक 25.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25.01.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट एवं की गई संस्तुति तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-241/दस-लाइसेंस-70/एफ.एल.-6-7/होटल द रिवर साइड इन/बार अनु./रामपुर, दिनांक 13.02.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त होटल ''द रिवर साइड इन'' ग्राम मंसूरपुर, तहसील सदर, जनपद रामपुर को एफ.एल.-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन की स्वीकृति उप आबकारी आयुक्त, मुरादाबाद प्रभार द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यंत्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति में दी गयी शर्तो का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं हैन्ड-हेल्ड-मेटल डिटेक्टर से सुसज्जित सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2020/540 ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-241/दस-लाइसेंस-70/एफ.एल.-6-7/होटल द रिवर साइड इन/बार अनु./रामपुर, दिनांक 13.02.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in